

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

डी.के.एस. भवन, मंत्रालय,

क्रमांक-156 /23 / वित्त/ नि./ चार / 2002

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-पेशन प्रकरणों का निराकरण ।

मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेशन) नियम, 1976 के नियम-57-58 के अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु पर सेवा निवृत्त होन की तिथि से 24 माह पूर्व पेशन प्रकरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तथा सेवा निवृत्ति के तिथि के 12 माह पूर्व पेशन प्रकरण ऑडिट अधिकारी वर्तमान स्थिति में स्थानीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेशन को अग्रेषित कर देना चाहिए । पेशन प्रकरणों की समयबद्ध तैयारी एवं अग्रेषित करने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख का है । पेशन नियम-74 के प्रावधानानुसार सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवक की पेशन देय होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पेशन/ग्रेच्यूटी भुगतान आदेश जारी होने संबंधीसूचना प्राप्त हो जानी चाहिए । यह तभी संभव है जब सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवक का पेशन प्रकरण यथा समय परिपूर्ण तैयार कर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेशन को प्रस्तुत कर दिया जाए ।

2/ उपरोक्त नियमों तथा इस विषय पर पूर्व में समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये है । इसके बावजूद यह पाया गया कि वर्तमान में प्रदेश में बड़ी संख्या में पेशन प्रकरण लम्बित है । मुख्य सचिव द्वारा लम्बित प्रकरणों की समीक्षा में यह पाया गया है कि दिनांक 31.12.2001 की स्थिति में प्रदेश में 869 पेशन प्रकरण एवं 442 पुनरीक्षित पेशन प्रकरण निराकरण हेतु लम्बित हैं । इसे शासन ने बहुत गम्भीरता से लिया है ।

3/ दिनांक 1 जून, 95 से पेशन प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीयकरण के फलस्वरूप पेशन प्रकरणों का निराकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेशन द्वारा किया जा रहा है । इसके अलावा जन्मतिथि की मान्यता, द्वितीय सेवा पुस्तिका की मान्यता, वेतन निर्धारण के लिये विकल्प परिवर्तन की मान्यता के अधिकार संभागीय संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित किये गये हैं, ताकि इन कठिनाईयों के समाधान हेत अब प्रकरण शासन स्तर पर संदर्भित करने की आवश्यकता न रहे । फिर भी, इन्हीं बड़ी संख्या में पेशन प्रकरणों का लम्बित रहना यह संकेत देता है कि कतिपया कार्यालय प्रमुखों द्वारा नियमों में

निर्धारित उनके दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जबकि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों में दी गई समय सारणी के अनुसार प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के लिये कार्यवाही की जाना एक अनिवार्यता है ।

4/ अतएव पेशन प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु निम्नानुसार समेकित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक डी466/177/म/99/पीडब्लूसी/चार, दिनांक 24.7.99 के द्वारा पेशन प्रकरणों का समयावधि में निराकरण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं । इस ज्ञापन के साथ का परिशिष्ट-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है । समस्त विभाग/कार्यालय प्रमुख उनकी सीपिना से सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों के पेशन प्रकरणों पर निर्धारित समय सारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । उक्त ज्ञापन में प्रशासकीय विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि वे पेशनरी मामलों को सेवा निवृत्त की तिथि तक निराकरण करने के संबंध में विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख को समुचित निर्देश जारी करें तथा समयबद्ध मानिटरिंग करें ।

इसके अलावा यदि उनके कार्यालय में सम्भागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं पेशन की ओर से कोई प्रकरण आपत्ति सहित वापिस प्राप्त हुआ है, तो आपत्ति का निराकरण अनिवार्यतः एक माह में करते हुए प्रकरण पुनः 31 मार्च, 2002 तक संबंधित संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेशन को प्रस्तुत करेंगे ।

2. पेशन प्रकरणों के परीक्षण में पाई जाने वाली सामान्य कमियों की सूची संलग्न है । (परिशिष्ट-2) कार्यालय प्रमुखों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पेशन प्रकरणों को अग्रेषित करने के पूर्व इन कमियों को दूर कर लिया गया है और प्रकरण हर तरह से परिपूर्ण है ।

3. सम्भागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय में लम्बित/भविष्य में प्राप्त होने वाले पेशन प्रकरणों का निराकरण सिटीजन चार्टर में निर्धारित समय सीमा के भीतर करते हुए पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. जारी होने के पाश्चात उस पर अंकित प्रमाण घ्र कार्यालय प्रमुखों द्वारा अधिकारी को बहुत विलम्ब से उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके कारण पेशनर कोषालय से प्रथम भुगतान समय पर प्राप्त नहीं कर पाता है । इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी/25/20/95/पीडब्लूसी/चार/95/82, दिनांक 30 मई, 95 की ओर ध्यान आकर्षित कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक द्वारा पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. पर अंकित प्रमाण घ्र अनिवार्यतः अधिकतम तीन माह की अवधि के अन्दर कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये जाए । इस ज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

5. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख हर वर्ष जून माह के स्वयं के वेतन देयक के साथ यह प्रमाण घ्र संलग्न कर कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे कि “31 मार्च की स्थिति में” उनकी सीपिना में निम्न छोड़कर कोई पेशन प्रकरण लम्बित नहीं है :-

1. न्यायलयीन प्रकरण
2. विभागीय जांच प्रकरण
3. ऐसे प्रकरण जिनमें पेशनर द्वारा स्वयं आवश्यक कागजात पूर्ण करने में रुचि नहीं ली जा रही है ।

4. ऐसे प्रकरण जिनमें किसी बिन्दु पर शासन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग अथवा वित्त विभाग को भेजे गये हैं।

जून माह का वेतन देयक पारित करते समय कोषालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों का वेतन देयक (जिनमें कार्यालय प्रमुख का वेतन शामिल हो) में उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है, उल्लेख किया गया है। कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रमाण-पत्र की सत्यता की जांच करने का अधिकार आयुक्त, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ को होगा। असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध समुचित अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6. प्रशासकीय विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्षों द्वारा उनके स्तर पर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा हेतु आयोजित नियमित बैठकों में पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के विषय को आवश्यक रूप से एजेंडा में शामिल किये जाएं।

7. सम्भागीय संयुक्त संचालक, द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों की स्थिति से प्रतिमाह की 5 तारीख तक संभागीय आयुक्त को अवगत कराया जाये। संभागीय आयुक्त संबंधित विभागों के संभागीय अधिकारियों के साथ प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।

8. समस्त विभागाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक आधार पर अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसंबर की स्थिति में लंबित प्रकरणों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर (संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब”) आयुक्त, कोष एवं लेखा समस्त विभागों की संकलित जानकारी उसी माह की 15 तारीख तक सचिव, वित्त विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

9. समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण संबंधित कार्यालय प्रमुखों द्वारा पेंशन नियमों के अनुरूप अग्रिम रूप से तैयार कर प्रस्तुत किये जायें, साथ ही जो पूर्व से लंबित प्रकरण है चाहे नवीन प्रकरण हो अथवा पुनरीक्षण प्रकरण हो उनका निराकरण भी 30 जून, 2002 तक करवा लिया जाये। अपवाद स्वरूप न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच के प्रकरणों का उक्त समय-सीमा से मुक्त रखा जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में भी पेंशन नियमों-64 के अनुसार अंतिम (प्रोविजल) पेंशन का भुगतान प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन. वित्त विभाग

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधान सभा, सचिवालय रायपुर ।
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
 4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ ।
 6. निज सचिव/ निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
 7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर ।
 8. महालेखाकार छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ, ग्वालियर ।
 9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालानलय, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 10. अवर सचिव, सीपिना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय रायपुर ।
 12. अपर मुख्य सचिव, के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय रायपुर ।
 13. अध्यक्ष शासन के मान्यता प्राप्त समस्त कर्मचारी संगठन/संघ ।
 14. आयुक्त, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ ।
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
 18. समस्त सदस्य पेशन कल्याण मंडल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग